न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 47 आर 15/08–09

मो0 बुधनी वगैरह — अपीलकर्ता

बनाम

रामकिष्टो बिंझिया — प्रतिवादी

आदेश

8/
3.10.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 70/07 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 29.04.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
जारेया	65	1020	0.91 एकड़
		789	0.03 ,,
		793	0.15 ,,
		1190	1.67 ,,
		1195	0.41 ,,
		1211	0.19 ,,
		1212	0.06 ,,
		1214	2.22 ,,
		1217	0.23 ,,
		1295	1.35 ,,
		1297	1.29 ,,
		1301	0.08 ,,
		1302	0.11 ,,
		1303	0.60 ,,

1304	0.03	एकड़
1305	4.00	,,
1310	0.27	,,
1311	0.61	,,
1320	0.42	,,
1512	0.76	,,
1513	0.14	,,
1210	0.12	,,
कुल	15.65	एकड़

अपील आवेदन में कहा गया है कि निम्न न्यायालय से अपीलकर्ता को कोई नोटिस नहीं मिला एवं एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। विवादित जमीन खतियान में मो0 दुलारी पति जेटेया सिह बिंझिया के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत की निःसंतान मृत्यु रिवीजनल सर्वे के तुरंत बाद हो गयी थी। इसलिए उपरोक्त सम्पत्ति नाबल्द हो गयी और खासमहाल पदाधिकारी की देखरेख में आयी। इसकी बंदोबस्ती हेतु कई ग्रामीणों ने खासमहाल पदाधिकारी के समक्ष आावेदन दिया जिसका केस नं0 6, 8, 9 एवं 51 बर्ष 1947–48 था। सम्यक जॉच पड़ताल के बाद खासमहाल पदाधिकारी ने विवादित जमीन अपीलकर्ता के पति रोटे महतो के नाम से बंदोबस्त कर दिया एवं दिनांक 28.7.1947 को दखल देहानी भी दे दिया। अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि लगभग 30 बर्ष पश्चात प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध जमीन वापसी हेतु एस ए आर वाद संख्या 150/79–80 दायर किया जिसमें 30.9.1980 को भूमि वापसी का आदेश पारित हुआ। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने अपर समाहर्ता, रॉची के न्यायालय में एस ए आर अपील 51 आर 15/1980–81 दायर किया जिसमें दिनांक 3.3.1982 को निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया। अपर समाहर्ता, रॉची के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने आयुक्त के न्यायालय में एस ए आर रिभीजन नं0 35/1982 दायर किया जो 13.1.1984 को अस्वीकृत हो गया। पुनः प्रतिवादी ने आयुक्त के आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च

न्यायालय में रिट याचिका संख्या डब्लु पी (सी) 5757/2007 दायर किया जो 11.3.2008 को खारिज हो गया। इसके बाद फिर से जमीन वापसी का वाद दायर किया जिसमें अपीलकर्ता को नोटिस तामिल कराये बिना ही जमीन वापसी का आदेश पारित किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही वर्णन किया। इन्होंने दावा किया कि जमीन का अवैध हस्तांतरण नहीं हुआ है तथा यह मामला कालबाधित और पूर्वादेश (रेसजुडीकाटा) से प्रभावित है।

प्रतिवादी की ओर से बहस नहीं किया गया जबकि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके बाद उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का भी मौका दिया गया। परन्तु लिखित बहस भी दाखिल नहीं किया गया।

प्रस्तुत वाद में उपलब्ध सभी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को खास महाल पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या 6, 7, 8, 51 बर्ष 1947–48 द्वारा खाता 65 की सारे जमीन को नाबल्दी होने के कारण रोटे महतो के साथ बंदोबस्त कर दिया।

इसके बाद रामकिष्टो सिह बिंझिया वगैरह ने विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 150 बर्ष 79–80 दायर किया जिसमें पीठासीन पदाधिकारी श्री बी. एम. मुण्डा ने 30.9.2.1980 को भू–वापसी का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के विरुद्व मो0 बुधनी पति रोटे अहीर ने अपर समाहर्ता, रॉची के न्यायालय में अपील वाद संख्या 51 आर 15/1980–81 दायर किया। अपर समाहर्ता, रॉची ने निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकृत कर लिया।

अपील में प्रतिकूल निर्णय होने के कारण राम किष्टो सिह बिंझिया वगैरह ने आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रॉची के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या 35 बर्ष 1982 दायर किया। दस पुनरीक्षण वाद को आयुक्त ने अस्वीकृत करते हुए अपर समाहर्ता, रॉची के निर्णय को यथावत रखा और निष्कर्ष दिया कि इस मामले में छोटानागपुर कातकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

रामकिष्टो सिह बिझिया ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 5757 बर्ष 2007 दायर किया था जिसमें 4.3.2008 को रिट याचिका आवेदन की त्रुटियों के निराकरण हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया लेकिन अनुपालन नहीं किये जाने के कारण याचिका खारिज कर दी गयी।

निम्न न्यायालय में रामकिष्टो सिह बिंझिया ने उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर एस ए आर वाद संख्या 70 बर्ष 2007–08 दायर किया। किसी कारणवश बुधनी देवी को सूचना का तामिला नहीं हुआ जिसके कारण उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला और न्यायालय ने 22.5.2008 को भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भू–खण्डों की नियमानुसार बन्दोबस्ती खास महाल पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष (अपीलकर्ता) के साथ 1947–48 में कर दी गई थी। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार से अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूर्वादेश (रेसजुडीकाटा) से प्रभावित होने के कारण वाद संख्या 70 बर्ष 2007–08 की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी।

अतएव अपील स्वीकृत किया जाता है एवं निम्न न्यायालय का दिनांक 22.5.2008 का आदेश निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी, नामकुम को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के साथ खासमहाल नियम के अनुरुप एकरारनामे की जॉच कर लें और नवीकरण आदि की कार्रवाई करें।

दिनांक :– 3.10.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।